"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2011—फाल्गुन 20, शक 1932

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री राम सिंह ठाकुर, भा.प्र.से. (2000) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003) कलेक्टर, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, जनशक्ति नियोजन के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

सुश्री कंगाले द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् संचालक, जनशक्ति नियोजन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. जॉय उम्मेन,** मुख्य सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्रमांक ई-1-5/2006/1/2.—भारत सरकार के अधिसूचना क्रमांक 13013/2/2009-AIS (I)/Part, दिनांक 21-1-2011 के द्वारा वर्ष 2009 बैच के परिवीक्षाधीन भा.प्र.से. अधिकारी श्री तंबोली अयूयाज फकीरभाई को पूर्व में आवंटित नागालैण्ड राज्य संवर्ग के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य सवंर्ग आवंटित किया गया है.

2. श्री तंबोली, भा.प्र.से. द्वारा दिनांक 28-2-2011 को छत्तीसगढ़ संवर्ग में कार्यभार ग्रहण किया गया है. अतएव श्री तंबोली, भा.प्र.से. को जिला प्रशिक्षण हेतु अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, बस्तर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**निधि छिब्बर,** सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 1-4/2005/1/5.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2010/1/5 दिनांक 10 नवम्बर, 2010 द्वारा दिनांक 05 अप्रैल, 2011 को "चैतीचांद" का ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है.

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य शासन एतद्द्वारा वर्ष 2011 में मंगलवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2011 को "चैतीचांद" के अवसर पर, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में केवल शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अवकाश घोषित करता है.

3. उक्त अवकाश के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी अर्थात् उक्त दिनांक की परीक्षाएं यथावत् निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा,** संयुक्त सचिव.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 फरवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | मुक्ता प.ह.नं. 18 | 0.640 | कार्यपालन अभियन्ता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर. | सेमरीया मुक्ता मार्ग के सोन नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ब्रजेशचंद्र मिश्र,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कबीरधाम | स. लोहारा | आमगांव प. ह. नं. 06 | 15.459 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) | आमगांव जलाशय योजना अंतर्गत बांधपार, डुबान एवं स्पील चैनल हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 05/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कबीरधाम | स. लोहारा | जामगांव प. ह. नं. 06 | 34.772 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) | आमगांव जलाशय योजना अंतर्गत बांधपार, डुबान एवं स्पील चैनल हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. संगीता,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

कबीरधाम, दिनांक 15 फरवरी 2011

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कबीरधाम | कवर्धा | कवर्धा प. ह. नं. 18 | 8.666 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) | राजनांदगांव मार्ग से रायपुर मार्ग तक कवर्धा बायपास निर्माण हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 फरवरी 2011

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कबीरधाम | कवर्धा | छिरहा प. ह. नं. 26 | 2.916 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) | राजनांदगांव मार्ग से रायपुर मार्ग तक कवर्धा बायपास निर्माण हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 फरवरी 2011

रा. प्र. क्र. 03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कबीरधाम | कवर्धा | घोठिया प. ह. नं. 19 | 0.052 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) | राजनांदगांव मार्ग से रायपुर मार्ग तक कवर्धा बायपास निर्माण हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मुकेश बंसल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
## राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्रमांक/838/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| उत्तर बस्तर कांकेर | नरहरपुर | देवरी बालाजी | 5.93 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, उत्तर बस्तर कांकेर. | दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना हेतु. |

कांकेर, दिनांक 10 फरवरी 2011

क्रमांक/886/कले./भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| उत्तर बस्तर कांकेर | कांकेर | पाण्डरीपानी | 0.705 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, जगदलपुर. | दुध नदी पर सेतु निर्माण पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. |
| | | बरदेभाठा | 1.028 | | |
| | | **योग** | **1.733** | | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एन. के. खाखा,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 21/अ/82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | चपोरा प.ह.नं. 06 | 0.149 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, क्र.-2, बिलासपुर. | आर. एम. के. के. रोड निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सोनमणि बोरा,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 जनवरी 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेंदरी, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.304 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 782/1 | 0.069 |
| | 782/8 | 0.069 |
| | 784 | 0.008 |
| | 785 | 0.077 |
| | 786/1, 786/2 | 0.081 |
| योग | 05 | 0.304 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेंदरी घिंवरा मार्ग पर सोननदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ब्रजेशचंद्र मिश्र,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 3 नवम्बर 2010

क्रमांक 82/भू-अर्जन/अ.वि.अ./05 अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द.
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्रामं-कोसरंगी, प. ह. नं. 80
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 793 | 0.20 |
| योग | 1 | 0.20 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोसरंगी-खट्टी मार्ग के केशवा नाला कि.मी. 1/10 पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अलरमेल मंगई डी.**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्रमांक-क/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 1/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-चोरहाडीह, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.768 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 768/1 द | 0.239 |
| | 768/1 ग/2 | 0.089 |
| | 768/1 थ | 0.154 |
| | 732/1 | 0.006 |
| | 768/1 द/2 | 0.081 |
| | 732/2 | 0.101 |
| | 729/3 | 0.024 |
| | 731/2 | 0.049 |
| | 732/3 | 0.025 |
| योग | 09 | 0.768 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायपुर, बलौदी, चोरहाडीह ओड़ान मार्ग के किलोमीटर 4/2 पर ग्राम चोरहाडीह नाला पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रोहित यादव**, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2011

### वर्ष 2011-12 के लिए भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी की फुटकर दुकानों का नीलाम

क्रमांक/आब./ठेका/2011/430.—सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी की फुटकर दुकानों के लिए लायसेंस समूहों में अथवा पृथक-पृथक वर्ष 2011-12 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा संलग्न परिशिष्ट-"अ" में दर्शाए अनुसार तिथियों एवं स्थानों पर प्रातः 10.30 बजे से नीलाम किए जावेंगे। पर्याप्त बोली प्राप्त न होने पर आवश्यकतानुसार टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे, जो व्यक्ति नीलाम/टेण्डर में भाग लेना चाहे, वे संबंधित नीलाम केन्द्रों पर नियत नीलाम तिथि को उपस्थित होकर नियमानुसार बोनी/टेण्डर दे सकते हैं। संबंधित नियमों तथा उपरोक्त मादक पदार्थों की खपत, ड्यूटी दर आदि की जानकारी संबंधित सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी-भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। नीलाम की शर्तें एवं निर्बन्धन नीलाम के समय नीलाम स्थल पर पढ़कर सुनाये जावेंगे। ठेकों के नीलाम/टेण्डर की कार्यवाही यदि किसी कारणवश संलग्न परिशिष्ट-"अ" में दर्शाये गये दिनांक के दिवस को पूरी नहीं हुई, तो नीलाम/टेण्डर आमंत्रित करने की कार्यवाही उस जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन की जा सकेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि टेण्डर आमंत्रित करने की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा टेण्डर आमंत्रित करने का निर्णय लिये जाने की दशा में ही की जावेगी। नीलाम/टेण्डर की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन निम्नानुसार दिये गये हैं, जो लागू होंगे :—

## नीलाम/टेण्डर की शर्तें

### 1/ नीलाम स्थल में प्रवेश एवं प्रवेश के लिए शुल्क :—

नीलाम स्थल में बोली/टेण्डर देने के लिए वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, जो नीलाम में भाग लेने के पात्र होंगे और जिन्होंने शर्त क्रमांक 4 के अनुसार अर्नेष्टमनी जमा कर दी है। नीलाम स्थल पर बोली/टेण्डर देने के प्रयोजन से प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति को **रुपये 500/— (पाँच सौ रुपये) प्रवेश शुल्क** सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी उसे विधिवत रसीद दी जावेगी तथा दो प्रवेश पत्र दिये जावेंगे— एक उसके स्वयं के उपयोग के लिए तथा एक उसके सहयोगी के लिए। नियमानुसार अर्नेष्टमनी जमा होने व प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर ही संबंधित को नीलाम स्थल में प्रवेश दिया जावेगा। बोली/टेण्डर देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले लाल प्रवेश पत्र पर नीलाम वर्ष, उसका नाम तथा जमा प्रवेश शुल्क अंकित होगा, सहयोगी को दिये जाने वाले श्वेत प्रवेश पत्र पर नीलाम वर्ष एवं सहयोगी का नाम अंकित होगा। प्रवेश पत्र पर सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित होगी। प्रवेशित व्यक्ति प्रवेश पत्र को अपने सीने में बाई ओर लगायेगा तथा नीलाम स्थल में उपस्थित रहने तक उसे भली भाँति लगाए रखेगा।

2/ **व्यक्ति जो नीलाम/टेण्डर में भाग लेने से वर्जित होंगे :–**

(1) नीलाम में ऐसे व्यक्ति बोली लगा सकेंगे, जो आबकारी ठेके/लायसेंस प्राप्त करने के लिए योग्यता रखते हों, निम्नांकित व्यक्ति नीलाम में बोली लगाने अथवा निविदा देने के लिए अयोग्य रहेंगे :–

(क) कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो। वर्ष 2010–11 की अवधि का अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा उसके ठेके की सम्पूर्ण वर्ष की देय लायसेंस फीस न पटाई गई हो।

(ग) कोई भी व्यक्ति, जो पहले कभी लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण नीलाम करने वाले अधिकारी के मत में संतोषजनक न रहा हो।

(घ) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।

(ड) कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में नीलामकर्ता अधिकारी को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।

(च) कोई भी व्यक्ति, जो स्वतः छत्तीसगढ़ के किसी पड़ोसी राज्य में समीप के क्षेत्र में उसी प्रकार का ठेका लिये हो अथवा ऐसे ठेकेदार का अभिकर्त्ता हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 पूर्व में प्रभावशील डेन्जरस ड्रग्स एक्ट, 1930, पूर्व में प्रभावशील छत्तीसगढ़ प्रोहिबिशन एक्ट, 1936, पूर्व में प्रभावशील अफीम अधिनियम, 1878 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति की शर्तों के गंभीर उल्लघंन करने का दोषी रहा हो अथवा ऐसे अपराधों के लिए किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो, जो उसे नीलाम में बोली/टेण्डर की कार्यवाही करवाने वाले पदाधिकारी के विचार में अनुज्ञप्तियों का अवांछनीय धारक बना देता है, नीलाम में बोली लगाने के लिए कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी या नीलाम करने वाले अधिकारी की सहमति के बिना अधिकृत नहीं होगा।

टिप्पणी:– **बकाया राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका 2 (1) (ख) में उल्लिखित शर्त कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी। काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका 2 (1) (घ) की शर्त कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी।**

(क) **सहमति करार पर हस्ताक्षर करना :–**

प्रत्येक बोलीदार/निविदादाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होगा कि, वह नीलाम/निविदा की शर्त और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है :–

# वर्ष 2011—12 के लिए आबकारी ठेकों के नीलाम/निविदा की शर्त को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार

बोलीदार/निविदादाता की फोटो हस्ताक्षर दिनांक सहित सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा प्रमाणित

मैंने ..............................................(बोली लगाने वाले का नाम) पुत्र.................................. (पिता का नाम) निवासी.........................................................................................(पूरा पता) धन्धे का स्थान.................................................आयु...................................(वर्षों में) राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते का क्रमांक व बैंक का नाम तथा पता ............................................................ बोलीदार/निविदादाता स्वयं/फर्म/कम्पनी अथवा उसके कोई भागीदार/डायरेक्टर आयकरदाता है, तो यथास्थिति बोलीदार/निविदादाता स्वयं/फर्म/कम्पनी अथवा उसके भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/डायरेक्टरों का/के स्थाई आयकर लेखा क्रमांक ........................... आबकारी ठेका वर्ष 2011—12 के लिए नीलाम/निविदा की शर्ते पढ़/सुन ली हैं, तथा/अन्यथा समझ ली है और मैं नीलाम/निविदा की शर्तो को प्रतिग्रहित करता हूँ। अपनी बोली/निविदा से विचलित होने की दशा में, मैं अपने द्वारा निक्षेप किये गये अग्रिम धन के समर्पहरण के लिए करार करता हूँ तथा स्वयं को आबद्ध करता हूँ कि, ऐसी दशा में पुनः नीलाम/निविदा की कार्यवाही किये जाने की स्थिति में राज्य शासन को हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम मुझसे भू—राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर
दिनांक

टीप :— (1) प्रत्येक भांग, भांग्घोंटा एवं ताड़ी दुकान अथवा दुकानों के समूह के आबकारी ठेकों के बोलीदार/निविदादाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक उसके द्वारा प्रस्तुत सहमति करार पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सहमति करार भरकर हस्ताक्षर करने के साथ ही बोलीदार/निविदादाता को निम्नांकित प्रारूप में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) बोलीदार/निविदादाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है, तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होगा।

(3) बोलीदार/निविदादाता द्वारा स्वयं अथवा पंजीकृत फर्म/कम्पनी की ओर से बोली/निविदा देने की दशा में बोलीदार/निविदादाता स्वयं अथवा फर्म/कम्पनी के कोई भागीदार/डायरेक्टर यदि आयकरदाता है, तो सम्बन्धित आयकरदाता का स्थाई आयकर खाता क्रमांक भी देना होगा।

श्री ..................................... को आबकारी ठेकों के उल्लेखित नीलाम/निविदा में उनके द्वारा प्रस्तुत/हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।

हस्ताक्षर
नीलामकर्ता अधिकारी
दिनांक सहित
कलेक्टर
जिला

## शपथ पत्र

मैं (नाम)............................................ (पिता का नाम)............................................ निवासी............................................................................(पूरा पता) शपथपूर्वक सत्य निष्ठा से कथन करता हूँ कि, भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी की फुटकर दुकान अथवा दुकानों के ठेकों की नीलामी हेतु बोली लगाने के लिए मेरे द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत सहमति करार पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य/विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त सहमति करार पत्र में उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण का सत्यापन कराये जाने पर किसी भी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर कलेक्टर को बोली/निविदा निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराये गये अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन को राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके सम्बन्ध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर
दिनांक

(ख) यदि कोई बोलीदार/निविदादाता किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से बोली लगाना अथवा निविदा देना चाहता है, तो बोली लगाने/निविदा देने के पूर्व उसे निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

(1) संबंधित फर्म/कम्पनी का मूल पंजीयन/निगमन का प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

(2) फर्म की डीड ऑफ रजिस्ट्रेशन/कम्पनी का मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल अथवा उसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

(3) सम्बन्धित फर्म/कम्पनी की ओर से नीलाम में भाग लेने हेतु बोलीदार/निविदादाता के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र।

4/ **अर्नेस्टमनी जमा करना** :–

प्रत्येक बोलीदार/निविदादाता को बोली लगाने/निविदा देने के पूर्व सम्बन्धित भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी दुकान/दुकानों की वर्ष 2010–11 के लिए सम्पूर्ण वर्ष हेतु प्राप्त लायसेंस फीस के 20 प्रतिशत के बराबर अर्नेस्टमनी की राशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करना होगा। इस प्रकार जमा की गई अर्नेस्टमंनी के विरूद्ध बोलीदार/निविदादाता 10 गुना राशि की सीमा तक सम्बन्धित दुकानो के समूह/दुकान के लिए बोली/निविदा दे सकेगा। यदि कोई बोलीदार/निविदादाता जमा अर्नेष्टमनी के 10 गुने से अधिक की बोली/निविदा देना चाहता है, तो उसे उतनी अतिरिक्त धनराशि ऐसी अधिक बोली/निविदा देने के पूर्व जमा करनी पड़ेगी, जिससे उसके द्वारा जमा कुल अर्नेष्टमनी की राशि उसके द्वारा दी जाने वाली बोली/निविदा के 1/10 के समतुल्य अथवा इससे अधिक हो जाए। सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गई राशि नीचे शर्त क्रमांक 8 में उल्लेखित अग्रिम धनराशि के विरूद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी अथवा जमा अर्नेष्टमनी की पूरी राशि को असफल बोलीदार/निविदादाता को सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के आदेश पर वापस की जावेगी, जिसके लिए उसे रेव्हेन्यू स्टाम्प लगाकर प्राप्ति अभिस्वीकृति देनी होगी।

5/ **खिसारे की वसूली तथा अर्नेस्टमनी का राजसात किया जाना** :–

उच्चतम बोलीदार/निविदादाता यदि बोली/निविदा की पुष्टि तक अपनी लगाई गई बोली/निविदा पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा बोली/निविदा वापस लेगा या किसी प्रकार से शर्तो का उल्लघंन करेगा तो, ठेके को पुनः नीलाम करने अथवा टेण्डर द्वारा ठेका देने पर जो खिसारा निकलेगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह उच्चतम बोलीदार/निविदादाता से भू–राजस्व की बकाया की भाँति वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी समय नीलाम/निविदा की शर्तो के उल्लघंन पर उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि अथवा यदि अर्नेस्टमनी की राशि का समायोजन शर्त क्रमांक 8 के अनुरूप जमा किये जाने वाले अग्रिम धन के विरूद्ध किया गया है, तो इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी की राशि भी उसको कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात राजसात की जा सकेगी। बोलीदार/निविदादाता द्वारा नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या बैंक के केश आर्डर के रूप में जमा की गई अन्य कोई भी राशि खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी।

6/ **आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन नीलामी** :–

जिन ठेकों की बोली वर्ष 2011–12 के लिए भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी दुकानों की समूह में अथवा पृथक–पृथक नीलामी होने पर अथवा निविदा आमंत्रित करने पर **रुपये 2.50 करोड़ (रुपये दो करोड़, पचास लाख)** से अधिक की होगी, उनके नीलाम/निविदा की कार्यवाही सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ की स्वीकृति के अधीन की जायेगी। ऐसे ठेके के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को शक्तियाँ होंगी कि, वे नीलाम/निविदा की कार्यवाही की स्वीकृति दें अथवा न दें, तथा इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे ठेकों की नीलाम/निविदा की स्वीकृति आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा दी जाने पर ही नीलाम/निविदा अंतिम मानी जावेगी।

7/ **ठेका/ठेकों की अवधि में नीलाम की शर्तो का प्रभावशील रहना** :–

मादक पदार्थो की फुटकर दुकानों के ठेकों की नीलामी की ये सभी शर्ते वर्ष 2011–12 के लिए तथा वर्ष 2011–12 के दौरान होने वाले पुनः नीलाम/निविदा की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रभावशील रहेंगी।

8/ **अग्रिम धन जमा करना** :–

प्रत्येक सफल बोलीदार अथवा निविदादाता को भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी दुकानों के लिए अपनी उच्चतम बोली/निविदा का 1/6 भाग नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के केश आर्डर के रूप में नीलाम/निविदा स्वीकृत होने के तत्काल् पश्चात् जमा करना होगा। सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि, 1/6 अग्रिम धनराशि के विरूद्ध अथवा जितनी आवश्यक है, उस सीमा तक समायोजन योग्य होगी। यदि उसके द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी की राशि, 1/6 भाग की राशि से कम होती है तो सफल बोलीदार/निविदादाता को नीलाम/निविदा कार्यवाही समाप्त होने के तत्काल बाद ऐसी अन्तर की राशि को भी नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के केश आर्डर के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी की दुकान/दुकानों के नीलाम के मामले में अग्रिम धन की शेष राशि नीलाम/निविदा के तुरंत पश्चात जमा न करने की दशा में सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि कलेक्टर द्वारा राजसात कर

ली जावेगी और सम्बन्धित दुकान/दुकानों का ठेका उसके उत्तरदायित्व पर पुन. नीलाम/निविदा द्वारा किया जावेगा। नीलाम/निविदा की पुनः कार्यवाही के फलस्वरूप शासन को हुई समस्त राजस्व हानि की वसूली सम्बन्धित उच्चतम बोलीदार/निविदादाता से भू-राजस्व की बकाया की भाँति की जावेगी। भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी की दुकान/दुकानों के ठेके के लिए जमा **1/6 अग्रिम धनराशि माह फरवरी-मार्च, 2012 की लायसेंस फीस में समायोजित की जावेगी।** इसके अतिरिक्त प्रत्येक सफल बोलीदार/निविदादाता को भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी की दुकान/दुकानों हेतु अपनी उच्चतम बोली/निविदा की राशि के 1/12 भाग के बराबर धनराशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के केश आर्डर के रूप में नीलाम/निविदा स्वीकृत होने के दिनांक से तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, किन्तु सफल बोलीदार/निविदादाता स्वयं चाहे तो उसके द्वारा देय 1/12 भाग की राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से कलेक्टर के माध्यम से अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति दे सकेगा, **जो दिनांक 30 जून, 2012 तक विधिमान्य होगी।** इस प्रकार ली जाने वाली उच्चतम बोली के 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी आदि को लायसेंस शर्तों के उल्लघंन आदि के विरूद्ध जमानत के रूप में रखा जावेगा। दिनांक 30 जून, 2012 तक अथवा इसके पूर्व यह 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी वापस की जा सकेगी, किन्तु वर्ष के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लघंन की स्थिति में कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् यदि कोई शास्ति अधिरोपित की जायेगी, अथवा अन्य कोई बकाया रहने पर उसके समायोजन के उपरान्त शेष राशि वापसी योग्य होगी। बोलीदार/निविदादाता द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राशि चेक द्वारा नहीं ली जावेगी। भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी की दुकान/दुकानों के प्रत्येक सफल बोलीदार/निविदादाता को **31 मार्च, 2011 या उसके पूर्व माह अप्रैल, 2011 की लायसेंस फीस की मासिक किश्त नगद जमा करना अनिवार्य होगा** तथा उक्त मासिक किंश्त जमा होने पर ही उसे लायसेंस दिया जावेगा तथा संबंधित भण्डारण भाण्डागार से भांग का प्रथम निर्गम दिया जा सकेगा।

**टिप्पणी :- सफल बोलीदार/निविदादाता का आशय ऐसे बोलीदार/निविदादाता से है, जिसकी बोली/निविदा नीलामी के समय अंतिम की गई हो, चाहे भले ही संबधित ठेके की नीलामी आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ की स्वीकृति के अधीन की गई हो।**

9/ **अग्रिम धन का राजसात करना :-**

जो ठेके आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन नीलाम होंगे, उन ठेकों का कोई बोलीदार/निविदादाता यदि नीलाम/निविदा की पुष्टि होने तक अपनी बोली पर स्थिर न रहते हुए बोली वापस लेगा अथवा कोई भी बोलीदार किसी प्रकार नीलाम की शर्तों का उल्लघंन करेगा तो उसके द्वारा भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी की दुकान/दुकानों हेतु जमा की गई उच्चतम/अंतिम बोली की 1/6 भाग तथा 1/12 भाग राशि, कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त राजसात की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

10/ **अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का हस्तातंरण :-**

वर्ष 2011-12 के लिए भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी की दुकान/दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों की अवधि के दौरान किसी अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का हस्तातंरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक पाया जावेगा तो उस अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों की अवधि की सम्पूर्ण लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने के लिए एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करने के लिए मूल अनुज्ञप्तिधारी (अन्तरणकर्त्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का वित्तीय वर्ष के मध्य में हस्तातंरण किया जावेगा (अन्तरणग्रहिता), दोनों ही बाध्य रहेंगे।

11/ **नीलाम/निविदा की कार्यवाही में न लगाई गई बोली/निविदा को स्वीकार न करना :–**

वर्ष 2011–12 के लिए भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी की दुकान/दुकानों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की बोली/निविदा, जिसने नीलाम के समय अथवा पुनः नीलाम यदि हुआ हो तो पुनः नीलाम के समय नीलाम में बोली/निविदा न दिया हो, विचार योग्य नहीं होगी।

12/ **पुनर्नीलाम :–**

(क) पुनर्नीलाम के लिए वह व्यक्ति ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो नीलाम के समय, जिसका वह पुनर्नीलाम चाहता है, में उपस्थित रहा हो तथा जो नीलाम में भाग लेने के लिए अपात्र न रहा हो, और कलेक्टर द्वारा जिस दुकानों के समूह/दुकानों की बोली अंतिम की गई हो, ऐसे दुकानों के समूह/दुकानों के लिए उसने बोली लगाई हो।

(ख) पुनर्नीलाम के आवेदन पत्र नीलाम के तीन दिवस के भीतर कलेक्टर को प्रस्तुत किये जावेंगे। तीन दिवस की गणना करने में सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जावेंगे। आवेदक को पुनर्नीलाम के आवेदन पत्र के साथ जिसका वह पुनर्नीलाम चाहता है, में प्राप्त उच्चतम बोली के 1/3 भाग के बराबर राशि जमा करनी होगी। आवेदक की अर्नेष्टमनी यदि कोई जमा है, तो उसको कम करके शेष राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा कर चालान की प्रति अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी उतनी ही राशि का बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक का केश आर्डर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(ग) पुनर्नीलाम के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जावेगा, जब आवेदक नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक की बोली लगाना चाहता हो। पुनर्नीलाम की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी। यदि कलेक्टर नीलाम स्थल में पुनर्नीलाम की घोषणा करते हैं, तो कम से कम पाँच दिवस पश्चात की तिथि घोषित करेंगे।

(घ) पुनर्नीलाम होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता पुनर्नीलाम में सम्मिलित होकर बोली नहीं लगाता है, तो उसके द्वारा जमा की गई 1/3 भाग राशि राजसात कर ली जावेगी। उसे आवेदन पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि, पुनर्नीलाम होने की दशा में वह प्रस्तावित बोली से कम की बोली नहीं लगायेगा और ऐसी बोली लगाने में असफल रहेगा तो उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात हो जावेगी।

(ड) किसी ऐसी दुकानों के समूह/दुकान के पुनर्नीलाम, जिसकी नीलाम की स्वीकृति आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन हो, का प्रस्ताव प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त को फैक्स/दूरभाष/ई–मेल द्वारा तत्काल सूचना दी जावेगी कि, संबधित दुकान/समूह के पुनर्नीलाम के कारण उक्त ठेका स्वीकृत न किया जावे, और तदुपरांत कलेक्टर पुनर्नीलाम की कार्यवाही करेंगे।

(च) किसी दुकानों के समूह/दुकान के पुनर्नीलाम के प्रस्ताव का आवेदन पत्र केवल एक ही बार मान्य किया जावेगा।

(छ) किसी दुकानों के समूह/दुकान के पुनर्नीलाम होने पर भी उसके प्रथम नीलाम के समय जिस बोलीदार द्वारा उच्चतम बोली लगाई गई होगी, वह 15 दिवस तक अपनी उस उच्चतम बोली पर कायम रहने के लिए बाध्य होगा।

13/ **ठेका अवधि में पुनर्नीलाम करना** :-

वित्तीय वर्ष 2011-12 के मध्य किसी दुकानों के समूह/दुकान का पुनर्नीलाम करने की स्थिति उत्पन्न होने पर कलेक्टर द्वारा संबंधित ठेकेदार को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात कभी-भी पुनर्नीलाम किया जा सकेगा। पुनर्नीलाम हेतु सूचना पत्र पुनर्नीलाम के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम पाँच दिवस पूर्व जारी करना होगा।

14/ **वर्ष 2011-12 के लिए ठेकों का नीलाम पूर्ण करना** :-

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए किए गये नीलाम के अंतिम होने के पश्चात् यदि सम्बन्धित बोलीदार द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा कलेक्टर/आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार किसी दुकान/दुकानों के समूह का नीलाम फिर से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिए यदि नीलाम के दौरान ही पुनर्नीलाम की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो, तो पुनर्नीलाम की सूचना पुनर्नीलाम के दिन से कम से कम पाँच दिवस पूर्व जारी की जावेगी तथा उसके लिए शर्त क्रमांक 15 का पालन किया जावेगा। पुनर्नीलाम की तिथि कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जावेगी। इसी प्रकार यदि दुकानों के किसी समूह/दुकान का किन्हीं भी कारणों से नियत तिथि को नीलाम सम्पन्न/अंतिम नहीं होता है, तो उसके नीलाम हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत कर सकेंगें, जिसकी घोषणा नीलाम स्थल में की जा सकती है।

15/ शर्त क्रमांक 12, 13 व 14 के अधीन निर्धारित पुनर्नीलाम/नीलाम की तिथि की घोषणा यदि नीलाम के दिवस नीलाम स्थल पर ही उस दिन की नीलाम कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है, तो ऐसे पुनर्नीलाम/नीलाम की सूचना, जिसकी अवधि कम से कम पाँच दिवस की होगी, समाचार पत्र में प्रकाशित की जावेगी और सूचना पत्र का प्रकाशन सम्बन्धित जिले के कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार आदि के कार्यालय के सूचना पटल पर सर्व साधारण की जानकारी के लिए किया जावेगा।

16/ **आबकारी दुकानों के संचालन की व्यवस्था** :-

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी दुकानों के नीलाम/पुनर्नीलाम में यदि किसी दुकानों के समूह/दुकान का उचित मूल्य नहीं आता है अथवा वर्तमान में ठेका व्यवस्था संबंधी जारी किए गए निर्देशों के उल्लघंन पर आबकारी आयुक्त उस दुकान/समूह की दुकानों के संचालन अथवा पुनर्नीलाम की, जैसी भी उचित समझे, व्यवस्था कर सकेंगे

17/ कलेक्टर द्वारा ऐसी दुकानों के समूह/दुकान, जिसके लिए बोली स्वीकृत करने हेतु वह स्वतः सक्षम हैं तथा ऐसी दुकानों के समूह/दुकान की बोली जिसे स्वीकृत करने हेतु उक्त शर्त क्रमांक 6 के अनुसार आबकारी आयुक्त सक्षम हैं, को अंतिम किये जाने के उपरांत भी शासकीय राजस्व के हित में उन्हें पुनर्नीलाम कराने के आदेश आबकारी आयुक्त दे सकेंगे।

18/ वित्तीय वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ राज्य में किन्हीं भी कारणों के फलस्वरूप यदि कोई दुकान/दुकानें बंद की जाती हैं, तो इसके कारण ठेकेदार को शासन द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार राज्य की किसी दुकान/दुकानों के पुनर्नीलाम करने का निर्णय लिया जाता है अथवा वर्ष 2011-12 के दौरान यदि शासन कोई नवीन दुकान खोलना आवश्यक समझेगा तो वैसा करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा तथा उस पर किसी ठेकेदार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा

छूट किसी भी आपत्तिकर्त्ता को देय होगी। यदि ठेका अवधि के दौरान ठेकेदार को किसी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि सम्बन्धी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो ठेकेदार को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता शासन द्वारा देय नहीं होगी।

19/ वर्ष 2011–12 के लिए भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी की फुटकर दुकानों की सभी अनुज्ञप्तियाँ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों/संशोधित नियमों एवं समय–समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/ अनुदेशों के अध्यधीन रहेंगी।

**जी. एस. मिश्रा,**
आबकारी आयुक्त.

---

परिशिष्ट–"अ"

**वर्ष 2011-12 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में भांग, भांगघोंटा एवं ताड़ी की फुटकर दुकानों के ठेकों के नीलाम की तिथियां एवं नीलाम स्थल का कार्यक्रम**

| क्रमांक | दिनांक/दिन | जिले का नाम | नीलाम स्थल |
|---|---|---|---|
| 1. | 08.03.2011मंगलवार | बिलासपुर | कलेक्टोरेट, बिलासपुर |
| 2. | 11.03.2011 शुक्रवार | राजनांदगांव | कलेक्टोरेट, राजनांदगांव |
| 3. | 14.03.2011शनिवार | रायपुर | कलेक्टोरेट, रायपुर |
| 4. | 15.03.2011 मंगलवार | रायगढ़ | कलेक्टोरेट, रायगढ़ |
| 5. | 16.03.201 बुधवार | जांजगीर–चॉपा | कलेक्टोरेट, जांजगीर–चॉपा |
| 6. | 22.03.2011 मंगलवार | दुर्ग | कलेक्टोरेट, दुर्ग |

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2011

**पॉपीस्ट्रा पी.एस. 2 ( थोक ) एवं पी. एस. 3 ( फुटकर ) लायसेंसों का नीलाम वर्ष 2011-12**

क्रमांक/आब./ठेका/2011/434.—सर्वसाधारण की जानकारी तथा पॉपीस्ट्रा ( डोडाचूरा) के थोक एवं फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों, विक्रेताओं की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार, यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में पॉपीस्ट्रा ( डोडाचूरा ) के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस समूहों में अथवा पृथक-पृथक वर्ष 2011-12 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा संलग्न परिशिष्ट-"अ" में दर्शाए अनुसार तिथियों एवं स्थानों पर प्रात: 10.30 बजे से नीलाम किए जावेंगे। पर्याप्त बोली प्राप्त न होने पर आवश्यकतानुसार टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे, जो व्यक्ति नीलाम/टेण्डर में भाग लेना चाहें, वे संबंधित नीलाम केन्द्रों पर नियत नीलाम तिथि को उपस्थित होकर नियमानुसार बोली/टेण्डर दे सकते हैं। संबंधित नियमों तथा पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर बिक्री के लायसेंसों के स्थान आदि की जानकारी संबंधित सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी-भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। नीलाम की शर्तें एवं निर्बन्धन नीलाम के समय नीलाम स्थल पर पढ़कर सुनाये जावेंगे। लायसेंसों के नीलाम/टेण्डर की कार्यवाही यदि किसी कारणवश संलग्न परिशिष्ट-"अ" में दर्शाये गये दिनांक के दिवस को पूरी नहीं हुई तो नीलाम/टेण्डर आमंत्रित करने की कार्यवाही उस जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन की जा सकेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि टेण्डर आमंत्रित करने की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा टेण्डर आमंत्रित करने का निर्णय लिये जाने की दशा में ही की जावेगी। नीलाम/टेण्डर की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन निम्नानुसार दिये गये हैं, जो लागू होंगे :—

## नीलाम/टेण्डर की शर्तें

**1/ नीलाम स्थल में प्रवेश एवं प्रवेश के लिए शुल्क :-**

नीलाम स्थल में बोली/टेण्डर देने के लिए वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, जो नीलाम में भाग लेने के पात्र होंगे और जिन्होंने शर्त क्रमांक 4 के अनुसार अर्नेष्टमनी जमा कर दी है। नीलाम स्थल पर बोली/टेण्डर देने के प्रयोजन से प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति को **रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) प्रवेश शुल्क** सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी उसे विधिवत रसीद दी जावेगी तथा दो प्रवेश पत्र दिये जावेंगे– एक उसके स्वयं के उपयोग के लिए तथा एक उसके सहयोगी के लिए। नियमानुसार अर्नेष्टमनी जमा होने व प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर ही संबंधित को नीलाम स्थल में प्रवेश दिया जावेगा। बोली/टेण्डर देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले लाल प्रवेश पत्र पर नीलाम वर्ष, उसका नाम तथा जमा प्रवेश शुल्क अंकित होगा, सहयोगी को दिये जाने वाले श्वेत प्रवेश पत्र पर नीलाम वर्ष एवं सहयोगी का नाम अंकित होगा। प्रवेश पत्र पर सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित होगी। प्रवेशित व्यक्ति प्रवेश पत्र को अपने सीने में बाईं ओर लगायेगा तथा नीलाम स्थल में उपस्थित रहने तक उसे भली भाँति लगाए रखेगा।

**व्यक्ति जो नीलाम/टेण्डर में भाग लेने से वर्जित होंगे :–**

(1) नीलाम में ऐसे व्यक्ति बोली लगा सकेंगे, जो पॉपीस्ट्रा लायसेंस प्राप्त करने के लिए योग्यता रखते हों, निम्नांकित व्यक्ति नीलाम में बोली लगाने अथवा निविदा देने के लिए अयोग्य रहेंगे :–

(क) कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी देयों अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो। वर्ष 2010–11 की अवधि का देशी/विदेशी मदिरा/भांग/ताड़ी/पॉपीस्ट्रा पी.एस.2 अथवा पी.एस.3 का अनुज्ञप्तिधारी, जिसके द्वारा उसके ठेके की सम्पूर्ण वर्ष की देय लायसेंस फीस न पटाई गई हो।

(ग) कोई भी व्यक्ति, जो पहले कभी पॉपीस्ट्रा का लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण नीलाम करने वाले अधिकारी के मत में संतोषजनक न रहा हो।

(घ) कोई भी व्यक्ति, जो नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के उल्लघंन के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया जाकर कारावास की सजा से दंडित किया गया हो।

(ङ) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।

(च) कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में नीलामकर्ता अधिकारी को यह विश्वास हो कि, वह बुरे आचरण वाला है।

(छ) कोई भी व्यक्ति, जो स्वतः छत्तीसगढ़ राज्य के किसी पड़ोसी राज्य में समीप के क्षेत्र में उसी प्रकार का ठेका लिये हो अथवा ऐसे ठेकेदार का अभिकर्त्ता हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915, पूर्व में प्रभावशील डेन्जरस ड्रग्स एक्ट, 1930, पूर्व में प्रभावशील छत्तीसगढ़ प्रोहिबिशन एक्ट, 1936, पूर्व में प्रभावशील अफीम अधिनियम, 1878 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति की शर्तों के गंभीर उल्लघंन करने का दोषी रहा हो अथवा ऐसे अपराधों के लिए किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो, जो उसे नीलाम में बोली/टेण्डर की कार्यवाही करवाने वाले पदाधिकारी के विचार में अनुज्ञप्तियों का अवांछनीय धारक बना देता है, नीलाम में बोली लगाने के लिए कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी या नीलाम करने वाले अधिकारी की सहमति के बिना अधिकृत नहीं होगा।

**टिप्पणी :** **बकाया राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका 2 (1) (ख) में उल्लिखित शर्त कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी। काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका 2 (1) (ङ) की शर्त कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी।**

3/ (क) **सहमति करार पर हस्ताक्षर करना :–**

प्रत्येक बोलीदार/निविदादांता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होगा कि, वह नीलाम/निविदा की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है :–

**वर्ष 2011–12 के लिए पॉपीस्ट्रा के थोक/फुटकर लायसेंसों के नीलाम/निविदा की शर्तों को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार**

| बोलीदार/निविदादाता की फोटो हस्ताक्षर दिनांक सहित सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा प्रमाणित |
|---|

मैंने .............................................. (बोली लगाने वाले का नाम) पुत्र .............................. (पिता का नाम) निवासी .............................................................................................. (पूरा पता) धन्धे का स्थान ........................................ आयु ............ (वर्षों में) राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते का क्रमांक व बैंक का नाम तथा पता ................ बोलीदार/निविदादाता स्वयं/फर्म/कम्पनी अथवा उसके कोई भागीदार/डायरेक्टर आयकरदाता है, तो यथास्थिति बोलीदार/निविदादाता स्वयं/फर्म/कम्पनी अथवा उसके भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/डायरेक्टरों का/के स्थाई आयकर लेखा क्रमांक ................ पॉपीस्ट्रा के थोक/फुटकर लायसेंसों के वर्ष 2011–12 के लिए नीलाम/निविदा की शर्ते पढ़/सुन ली है तथा/अन्यथा समझ ली है और मैं नीलाम/निविदा की शर्तों को प्रतिग्रहित करता हूँ। अपनी बोली/निविदा से विचलित होने की दशा में मैं, अपने द्वारा निक्षेप किये गये अग्रिम धन के समप्रहरण के लिए करार करता हूँ तथा स्वयं को आबद्ध करता हूँ कि, ऐसी दशा में पुनः नीलाम/निविदा की कार्यवाही किये जाने की स्थिति में राज्य शासन को हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम मुझसे भू–राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर
दिनांक

**टीप** :– (1) प्रत्येक बोलीदार अथवा निविदादाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक उसके द्वारा प्रस्तुत सहमति करार पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सहमति करार भरकर हस्ताक्षर करने के साथ ही बोलीदार/निविदादाता द्वारा निम्नांकित प्रारूप में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करनां अनिवार्य होगा।

(2) बोलीदार अथवा निविदादाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है, तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होगा।

(3) बोलीदार/निविदादाता द्वारा स्वयं अथवा पंजीकृत फर्म/कम्पनी की ओर से बोली लगाने/निविदा देने की दशा में बोलीदार/निविदादाता स्वयं अथवा फर्म/कम्पनी के कोई भागीदार/डायरेक्टर यदि आयकरदातां है, तो सम्बन्धित आयकरदाता का स्थाई आयकर खाता क्रमांक भी देना होगा।

श्री ................................................................... को पॉपीस्ट्रा के थोक/फुटकर लायसेंसों के उल्लेखित नीलाम/निविदा में उनके द्वारा प्रस्तुत/हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।

हस्ताक्षर
नीलामकर्ता अधिकारी
दिनांक सहित
कलेक्टर
जिला

4

**शपथ पत्र**

मैं (नाम) ............................................ (पिता का नाम)............................................
निवासी ................................................................................................ (पूरा पता) मकान नं. ...............
मोहल्ला .................. शहर/ग्राम .............................. जिला........................ शपथपूर्वक सत्य निष्ठा से कथन करता हूँ कि, पॉपीस्ट्रा के थोक/फुटकर विक्रय लायसेंसों की नीलामी हेतु बोली लगाने/निविदा देने के लिए मेरे द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत सहमति करार पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य/विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त सहमति करार पत्र में उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण का सत्यापन कराये जाने पर किसी–भी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर कलेक्टर को बोली/लायसेंस निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराये गये अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन को राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके सम्बन्ध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर
दिनांक

(ख) यदि कोई बोलीदार/निविदादाता किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से बोली लगाना अथवा निविदा देना चाहता है, तो बोली लगाने/निविदा देने के पूर्व उसे निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

(1) संबंधित फर्म/कम्पनी का मूल पंजीयन/निगमन का प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

(2) फर्म की डीड ऑफ रजिस्ट्रेशन/कम्पनी का मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल अथवा उसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

(3) सम्बन्धित फर्म/कम्पनी की ओर से नीलाम में भाग लेने हेतु बोलीदार के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र।

4/ **अर्नेस्टमनी जमा करना** :–

प्रत्येक बोलीदार/निविदादाता को बोली लगाने/निविदा देने के पूर्व पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर लायसेंसों अथवा उनके समूह हेतु वर्ष 2011–12 के लिए घोषित आरक्षित मूल्य के 12.5 प्रतिशत के बराबर अर्नेस्टमनी की राशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करना होगा। इस प्रकार जमा की गई अर्नेस्टमनी के विरूद्ध बोलीदार/निविदादाता 10 गुना राशि की सीमा तक सम्बन्धित दुकान/समूह के लिए बोली/निविदा दे सकेगा। यदि कोई बोलीदार/निविदादाता जमा अर्नेष्टमनी के 10 गुने से अधिक की बोली/निविदा देना चाहता है, तो उसे उतनी अतिरिक्त धनराशि ऐसी अधिक बोली/निविदा देने के पूर्व जमा करनी पड़ेगी, जिससे उसके द्वारा जमा कुल अर्नेष्टमनी की राशि उसके द्वारा दी जाने वाली बोली/निविदा के 1/10 के समतुल्य अथवा इससे अधिक हो जाए। सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गई राशि नीचे शर्त क्रमांक 8 में उल्लेखित अग्रिम धनराशि के विरूद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी अथवा जमा अर्नेष्टमनी की पूरी राशि असफल बोलीदार/निविदादाता को सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के आदेश पर वापस की जावेगी, जिसके लिए उसे रेव्हेन्यू स्टाम्प लगाकर प्राप्ति अभिस्वीकृति देनी होगी।

5/ **खिसारे की वसूली तथा अर्नेस्टमनी का राजसात किया जाना** :–

उच्चतम बोलीदार/निविदादाता यदि बोली/निविदा की पुष्टि तक अपनी लगाई गई बोली/निविदा पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा बोली/निविदा वापस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लघंन करेगा तो, लायसेंस/लायसेंसों को पुनः नीलाम करने अथवा टेण्डर द्वारा लायसेंस देने पर जो खिसारा निकलेगा अर्थात शासन को जो हानि होगी, वह उच्चतम बोलीदार/निविदादाता से भू–राजस्व की बकाया की भाँति वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी समय नीलाम/निविदा की शर्तों के उल्लघंन पर उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि अथवा यदि अर्नेस्टमनी की राशि का समायोजन शर्त क्रमांक 8 के अनुरूप जमा किये जाने वाले अग्रिम धन के विरूद्ध किया गया है, तो इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी की राशि भी उसको कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी। बोलीदार/निविदादाता द्वारा नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा की गई अन्य कोई भी राशि खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी।

(6) **आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन नीलामी** :–

जिन पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर लायसेंसों अथवा उनके समूह की बोली वर्ष 2011–12 के लिए समूह में अथवा पृथक–पृथक नीलामी होने पर अथवा निविदा आमंत्रित करने पर **रुपये 2.50 करोड़ (रुपये दो करोड़, पचास लाख)** से अधिक की होगी, उनके नीलाम/निविदा की कार्यवाही सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ की स्वीकृति के अधीन की जावेगी। ऐसे लायसेंसों के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को शक्तियाँ होंगी कि, वे नीलाम/निविदा की कार्यवाही की स्वीकृति दें अथवा न दें, तथा इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे लायसेंसों के नीलाम/निविदा की स्वीकृति आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा दी जाने पर ही नीलाम/निविदा अंतिम मानी जावेगी।

7/ **लायसेंस/लायसेंसों की अवधि में नीलाम की शर्तों का प्रभावशील रहना**:–

पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर लायसेंसों अथवा उनके समूह की नीलामी की ये सभी शर्तें वर्ष 2011–12 के लिए तथा वर्ष 2011–12 के दौरान होने वाले पुनः नीलाम/निविदा की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रभावशील रहेंगी।

8/ **अग्रिम धन जमा करना** :–

प्रत्येक सफल बोलीदार अथवा निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली/निविदा का 1/6 भाग नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में नीलाम/निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् तुरंत जमा करना होगा। सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि 1/6 अग्रिम धनराशि के विरूद्ध अथवा जितनी आवश्यक है, उस सीमा तक समायोजन योग्य होगी। यदि उसके द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी की राशि, 1/6 भाग की राशि से कम होती है तो, सफल बोलीदार/निविदादाता को नीलाम/निविदा कार्यवाही समाप्त होने के तत्काल बाद ऐसी अन्तर की राशि को भी नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। पॉपीस्ट्रा के थोक व फुटकर दुकान / दुकानों के लिए सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा अग्रिम धन

की शेष राशि नीलाम/निविदा के तुरंत पश्चात् जमा न करने की दशा में, सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि कलेक्टर द्वारा राजसात कर ली जावेगी और सम्बन्धित दुकान/दुकानों के लायसेंसों का उसके उत्तरदायित्व पर पुनः नीलाम/निविदा द्वारा किया जावेगा। पुनर्नीलामी/निविदा के फलस्वरूप शासन को हुई समस्त राजस्व हानि की वसूली सम्बन्धित उच्चतम बोलीदार/निविदादाता से भू-राजस्व की बकाया की भाँति की जावेगी। पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर दुकान/दुकानों के लायसेंस/लायसेंसों के लिए **जमा 1/6 अग्रिम धनराशि माह फरवरी-मार्च, 2012 की लायसेंस फीस में समायोजित की जावेगी**। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सफल बोलीदार/निविदादाता को पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर दुकान/दुकानों हेतु अपनी उच्चतम बोली/निविदा की राशि के 1/12 भाग के बराबर धन राशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में नीलाम/निविदा स्वीकृत होने के दिनांक से तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, किन्तु सफल बोलीदार/निविदादाता स्वयं चाहे तो उसके द्वारा देय 1/12 भाग की राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से कलेक्टर के माध्यम से अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति दे सकेगा, **जो दिनांक 30 जून, 2012 तक विधिमान्य होगी**। इस प्रकार ली जाने वाली उच्चतम बोली के 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी आदि को लायसेंस शर्तों के उल्लघंन आदि के विरूद्ध जमानत के रूप में रखा जावेगा। दिनांक 30 जून, 2012 तक अथवा इसके पूर्व यह 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी वापस की जा सकेगी, किन्तु वर्ष के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लघंन की स्थिति में कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् यदि कोई शास्ति अधिरोपित की जायेगी, अथवा अन्य कोई बकाया रहने पर उसके समायोजन के उपरान्त शेष राशि वापसी योग्य होगी। बोलीदार/निविदादाता द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राशि चेक द्वारा नहीं ली जावेगी। पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर दुकान/दुकानों के प्रत्येक सफल बोलीदार/निविदादाता को **दिनांक 31 मार्च, 2011 या उसके पूर्व माह अप्रैल, 2011 की लायसेंस फीस की मासिक किश्त नगद जमा करना अनिवार्य होगा** तथा उक्त मासिक किश्त जमा होने पर ही उसे लायसेंस एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र/परमिट दिये जावेंगे।

**टिप्पणी :-** **सफल बोलीदार/निविदादाता का आशय ऐसे बोलीदार/निविदादाता से है, जिसकी बोली/निविदा नीलामी के समय अंतिम की गई हो, चाहे भले ही संबधित लायसेंस/लायसेंसों की नीलामी आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ की स्वीकृति के अधीन की गई हो।**

9/ <u>अग्रिम धन का राजसात करना</u> :-

जो लायसेंस आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन नीलाम होंगे, उनका कोई बोलीदार/निविदादाता यदि नीलाम/निविदा की पुष्टि होने तक अपनी बोली पर स्थिर न रहते हुए बोली वापस लेगा अथवा कोई-भी बोलीदार किसी प्रकार नीलाम की शर्तों का उल्लघंन करेगा तो उसके द्वारा उपरोक्तानुसार अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों के समूह हेतु जमा की गई उच्चतम/अंतिम बोली की 1/6 भाग तथा 1/12 भाग राशि, कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त राजसात की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

10/ **अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का हस्तातंरण :–**

वर्ष 2011–12 के लिए यदि अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों की अवधि के दौरान किसी अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का हस्तांतरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक पाया जावेगा तो अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों की अवधि की सम्पूर्ण लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने के लिए एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करने के लिए मूल अनुज्ञप्तिधारी (अन्तरणकर्त्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का वित्तीय वर्ष के मध्य में हस्तातंरण किया जावेगा (अन्तरणग्रहिता), दोनों ही बाध्य रहेंगे।

(11) **नीलाम/निविदा की कार्यवाही में न लगाई गई बोली/निविदा को स्वीकार न करना :–**

वर्ष 2011–12 के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की बोली/निविदा, जिसने नीलाम के समय अथवा पुनः नीलाम यदि हुआ हो तो पुनः नीलाम के समय नीलाम में बोली/निविदा न दिया हो, विचार योग्य नहीं होगी।

12/ **पुनर्नीलाम :–**

(क) पुनर्नीलाम के लिए वह व्यक्ति ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो नीलाम के समय, जिसका वह पुनर्नीलाम चाहता है, में उपस्थित रहा हो तथा जो नीलाम में भाग लेने के लिए अपात्र न रहा हो, और कलेक्टर द्वारा जिस अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों के समूह की बोली अंतिम की गई हो, उस अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों के समूह के लिए उसने बोली लगाई हो।

(ख) पुनर्नीलाम के आवेदन पत्र नीलाम के तीन दिवस के भीतर कलेक्टर को प्रस्तुत किये जावेगें। तीन दिवस की गणना करने में सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जावेंगे। आवेदक को पुनर्नीलाम के आवेदन पत्र के साथ जिसका वह पुनर्नीलाम चाहता है, में प्राप्त उच्चतम बोली के 1/3 भाग के बराबर राशि जमा करनी होगी। आवेदक की अर्नेस्टमनी यदि कोई जमा है, तो उसको कम करके शेष राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा कर चालान की प्रति अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी उतनी ही राशि का बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक का कैश आर्डर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(ग) पुनर्नीलाम के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जावेगा, जब आवेदक नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक की बोली लगाना चाहता हो। पुनर्नीलाम की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी। यदि कलेक्टर नीलाम स्थल में पुनर्नीलाम की घोषणा करते हैं, तो कम से कम पाँच दिवस पश्चात की तिथि घोषित करेंगे।

(घ) पुनर्नीलाम होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता पुनर्नीलाम में सम्मिलित होकर बोली नहीं लगाता है, तो उसके द्वारा जमा की गई 1/3 भाग राशि राजसात कर ली जावेगी। उसे आवेदन पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि, पुनर्नीलाम होने की दशा में वह प्रस्तावित बोली से कम की बोली नहीं लगायेगा और ऐसी बोली लगाने में असफल रहेगा, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात हो जावेगी।

(ङ) किसी ऐसे अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों के समूह के पुनर्नीलाम, जिसकी नीलाम/निविदा की स्वीकृति आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन हो, का प्रस्ताव प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त को फैक्स/ दूरभाष/ ई–मेल

द्वारा तत्काल सूचना दी जावेगी कि, संबधित दुकान/समूह के पुनर्नीलाम के कारण उक्त नीलामी की कार्यवाही स्वीकृत न की जावे, और तदुपरांत कलेक्टर पुनर्नीलाम की कार्यवाही करेंगे।

(च) किसी अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों के समूह के पुनर्नीलाम के प्रस्ताव का आवेदन पत्र केवल एक ही बार मान्य किया जावेगा।

(छ) किसी अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों के समूह के पुनर्नीलाम होने पर भी उसके प्रथम नीलाम के समय जिस बोलीदार द्वारा उच्चतम बोली लगाई गई होगी, वह 15 दिवस तक अपनी उस उच्चतम बोली पर कायम रहने के लिए बाध्य होगा।

13/ **अनुज्ञप्ति अवधि में पुनर्नीलाम करना** :–

वित्तीय वर्ष 2011–12 के मध्य पॉपीस्ट्रा के किसी थोक एवं फुटकर अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों के समूह का पुनर्नीलाम करने की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुज्ञप्तिधारक को कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कभी–भी पुनर्नीलाम किया जा सकेगा। पुनर्नीलाम हेतु सूचना पत्र पुनर्नीलाम के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम पाँच दिवस पूर्व जारी करना होगा।

14/ **वर्ष 2011–12 के लिए ठेकों का नीलाम पूर्ण करना** :–

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए किए गये नीलाम के अंतिम होने के पश्चात् यदि सम्बन्धित बोलीदार द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा कलेक्टर/आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार किसी दुकान/दुकानों के समूह का नीलाम फिर से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिए यदि नीलाम के दौरान ही पुनर्नीलाम की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो, तो पुनर्नीलाम की सूचना पुनर्नीलाम के दिन से कम से कम पाँच दिवस पूर्व जारी की जावेगी तथा उसके लिए शर्त क्रमांक 15 का पालन किया जावेगा। पुनर्नीलाम की तिथि कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जावेगी। इसी प्रकार यदि दुकानों के किसी समूह/दुकान का किन्हीं भी कारणों से नियत तिथि को नीलाम सम्पन्न/अंतिम नहीं होता है, तो उसके नीलाम हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत कर सकेंगे, जिसकी घोषणा नीलाम स्थल में की जा सकती है।

15/ शर्त क्रमांक 12, 13 व 14 के अधीन निर्धारित पुनर्नीलाम/नीलाम की तिथि की घोषणा यदि नीलाम के दिवस नीलाम स्थल पर ही उस दिन की नीलाम कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है, तो ऐसे पुनर्नीलाम/नीलाम की सूचना, जिसकी अवधि कम से कम पाँच दिवस की होगी, समाचार पत्र में प्रकाशित की जावेगी और सूचना पत्र का प्रकाशन सम्बन्धित जिले के कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार आदि के कार्यालय के सूचना पटल पर सर्व साधारण की जानकारी के लिए किया जावेगा।

16/ **पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर दुकानों के संचालन की व्यवस्था** :–

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर दुकानों के नीलाम/पुनर्नीलाम में यदि किसी दुकानों के समूह/दुकान का उचित मूल्य नहीं आता है अथवा वर्तमान में ठेका व्यवस्था संबंधी जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन पर आबकारी आयुक्त उस दुकान/समूह की दुकानों के संचालन अथवा पुनर्नीलाम की, जैसी भी उचित समझे, व्यवस्था कर सकेंगे।

17/ कलेक्टर ऐसे अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों के समूह, जिसके लिए बोली स्वीकृत करने हेतु वह स्वतः सक्षम हैं तथा ऐसे अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों की बोली, जिसे स्वीकृत करने हेतु उक्त शर्त क्रमांक 6 के अनुसार आबकारी आयुक्त सक्षम हैं, को अंतिम किये जाने के उपरांत भी शासकीय राजस्व के हित में उन्हें पुनर्नीलाम कराने के आदेश आबकारी आयुक्त दे सकेंगे।

18/ वित्तीय वर्ष 2011–12 में छत्तीसगढ़ राज्य में किन्हीं भी कारणों के फलस्वरूप यदि कोई दुकान/दुकानें बंद की जाती हैं, तो इसके कारण अनुज्ञप्तिधारी को शासन द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार राज्य की किसी दुकान/दुकानों के पुनर्नीलाम करने का निर्णय लिया जाता है अथवा वर्ष 2011–12 के दौरान यदि शासन कोई नवीन दुकान खोलना आवश्यक समझेगा तो वैसा करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा तथा उस पर किसी अनुज्ञप्तिधारी की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी–भी आपत्तिकर्त्ता को देय होगी। यदि ठेका अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को किसी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि सम्बन्धी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता शासन द्वारा देय नहीं होगी।

19/ पॉपीस्ट्रा पी.एस.2 (थोक) एवं पी.एस.3 (फुटकर) लायसेंसों के लिए शेष व्यवस्था/निर्देश वर्ष 2010–11 की भाँति आगामी वर्ष 2011–12 के लिए यथावत् लागू रखे जाने के साथ–ही प्रदेश में स्थित पॉपीस्ट्रा पी.एस.2 (थोक) एवं पी.एस.3 (फुटकर) लायसेंस नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों अर्थात् नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज (छत्तीसगढ़) नियम, 1985 तथा उक्त नियमों में समय–समय पर किए गए संशोधनों तथा इस विषय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त अथवा कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों/निर्देशों के अध्यधीन रहेंगे।

**जी. एस. मिश्रा,**
आबकारी आयुक्त.

परिशिष्ट-"अ"

**वर्ष 2011-12 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पॉपीस्ट्रा पी.एस. 2 ( थोक ) एवं पी.एस. 3 ( फुटकर ) लायसंसों के नीलाम की तिथियां एवं नीलाम स्थल का कार्यक्रम**

| अ.क्र. | दिनांक / दिन | | जिले का नाम | नीलाम स्थल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.03.2011 मंगलवार | 1. | बिलासपुर | कलेक्टोरेट, बिलासपुर |
| 2. | 09.03.2011 बुधवार | 1. | कोरबा | कलेक्टोरेट, कोरबा |
| | | 2. | धमतरी | कलेक्टोरेट, धमतरी |
| 3. | 10.03.2011 गुरुवार | 1. | महासमुंद | कलेक्टोरेट, महासमुंद |
| 4. | 11.03.2011 शुक्रवार | 1. | राजनांदगांव | कलेक्टोरेट, राजनांदगांव |
| 5. | 14.03.2011 सोमवार | 1. | रायपुर | कलेक्टोरेट, रायपुर |
| | | 2. | जशपुर | कलेक्टोरेट, जशपुर |
| 6. | 15.03.2011 मंगलवार | 1. | रायगढ़ | कलेक्टोरेट, रायगढ़ |
| 7. | 16.03.2011 बुधवार | 1. | बस्तर | कलेक्टोरेट, बस्तर |
| 8. | 22.03.2011 मंगलवार | 1. | दुर्ग | कलेक्टोरेट, दुर्ग |
| | | 2. | सरगुजा | कलेक्टोरेट, सरगुजा |